# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 27 / 2021 FSSA**

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री राजेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर निवासी ढाणी होडी का बास, झूपडीन पोस्ट अनन्तवाडा मैसर्सः—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, झूपडीन कोड नं. 2045 पोस्ट अनन्तवाडा, तहसील बसवा हाल पुलिस थाना कोतवाली दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.06.2021 को प्रातः 10:40 बजे दुग्ध विक्रेता की गाडी संख्या आर जे—14 जीएफ 9629 में रखे हुये एल्यूमिनीयम की कैन का पुलिस थाना कोतवाली दौसा के बाहर निरीक्षण किया। उक्त एल्यूमिनियम की कैन में करीबन 40 लीटर दूध रखा हुआ था। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री राजेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को मैसर्सः— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, झूपडीन कोड नं. 2045 पोस्ट अनन्तवाडा तहसील बसवा दौसा स्थित फर्म का दुग्ध विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की गाडी पर एल्यूमिनियम की कैन में करीब 40 लीटर दूध रखा हुआ था। जिसे विक्रेता द्वारा मिश्रित दूध होना एवं आम जन तथा सरस डेयरी को बिक्री हेतु होना बताया। इसमे मिलावट का शक होने पर एक कैन में से 2 लीटर मिश्रित दूध हिलामिलाकर एक रूप कर साफ सूखी खाली प्लास्टिक की बाल्टी में नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 90 रूपये नकद देकर खरीद रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मिश्रित दूध को साफ सूखी खाली चार कांच की बोतलो में बराबर—बराबर डालकर 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2656 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री नितेश सोनी आईईसी कोर्डिनेटर मुख्यालय द्वारा दिनांक 22.06.2021 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.06.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.06.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./451/एक्ट/2021/628 दिनांक 2.7.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा ना तो जवाब प्रस्तुत किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./451/एक्ट/2021/628 दिनांक 2.7.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के बिना विक्रय किया है एवं सबस्टैण्डड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के बिना खाद्य पदार्थ का विक्रय कर धारा 31(2) खाद्य कारोबार रजिस्ट्रीकरण का भी उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 51 व 58 में वर्णित है। अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Web Copy Not Official

प्र0 सं0 : 27 / 2021 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./451/एक्ट/2021/628 दिनांक 2.7.2021 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के बिना सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र रजिस्ट्रेशन के विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर निवासी ढाणी होडी का बास, झूपडीन पोस्ट अनन्तवाडा मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, झूपडीन कोड नं. 2045 पोस्ट अनन्तवाडा तहसील बसवा जिला दौसा पर 5000/–( अक्षरे पांच हजार रूपये ) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( सुरेश कुमार )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ दिनांकः– .
2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर निवासी ढाणी होडी का बास, झूपडीन पोस्ट अनन्तवाडा मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, झूपडीन कोड नं. 2045 पोस्ट अनन्तवाडा तहसील बसवा जिला दौसा।

( सुरेश कुमार )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा